



वर्षांत समीक्षा 2022: पत्तन, पोत परविहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

प्रलिस के लयि:

समुद्री सुरक्षा, हदि महासागर कषेत्र, सीमा सुरक्षा बल, सूचना संलयन केंद्र-हदि महासागर कषेत्र, होरमुज जलडमरूमध्य

मेन्स के लयि:

समुद्री सुरक्षा और संबंधति चतिाएँ

सागरमाला कार्यक्रम

- मंत्रमिडल दवारा [सागरमाला परयोजना](#) के लयि संस्थागत ढाँचाअनुमोदति ।
- इस ढाँचे के शीर्ष स्तर पर समग्र नीतगित मार्गदर्शन एवं **उच्चस्तरीय समन्वय हेतु एक राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति** (National Sagarmala Apex Committee- NSAC) का गठन कयि गया है ।
- **राष्ट्रीय समुद्री वरिसत परसिर, लोथल:**
 - लोथल में एक **राष्ट्रीय समुद्री वरिसत परसिर** की स्थापना को मंजूरी दी गई है जसि 3 चरणों में स्थापति कयि जाना है ।
 - यह हड़प्पा काल से भारत की समृद्ध समुद्री वरिसत को प्रदर्शति करने के लयि देश में **अपनी तरह का पहला विश्वस्तरीय संग्रहालय परसिर** और एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल होगा ।
- **रो-रो/रो-पैक्स:**
 - सागरमाला कार्यक्रम के तहत कई मार्गों पर **रो-रो/रो-पैक्स (Ro-Ro/Ro-Pax)** और **यात्री जेटी परयोजनाएँ** शुरू की गई हैं ।
 - इनमें से एक प्रमुख प्रभावशाली परयोजना नवंबर, 2020 से शुरू हुई **घोघा-हजीरा (गुजरात)** के बीच **रो-पैक्स फेरी** है । जसिके परणामस्वरूप इस मार्ग पर **यात्रा समय 10 घंटे से घटकर 4 घंटे** रह गया है ।
 - इसी प्रकार, मुंबई में सड़क पर भीड़भाड़ को कम करने के लयि सरकार ने नवंबर, 2022 से **मुंबई-मांडवा के बीच फेरी सेवा** शुरू की । इसके परणामस्वरूप **सड़क मार्ग से समुद्र की दूरी 109 कमी. से घटकर 18.5 कमी.** रह गई है जबकि इस दूरी को तय करने में लगने वाला **समय 3 घंटे से घटकर सरिफ 45 मनिट** रह गया है ।
- **तटीय नौवहन:**
 - सागरमाला के तहत **तटीय नौवहन को बढ़ावा देना मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमकिता** है ।
 - तटीय व्यापार के वकिस को गति देने के लयि **एशियाई वकिस बैंक** द्वारा भारत में तटीय नौवहन के वकिस पर वर्ष 2025 तक के लयि एक योजना तैयार की गई है ।
 - अन्य प्रयास:
 - बंकर ईंधन पर GST को 18% से घटाकर 5% करना ।
 - कार्गो जहाजों के लयि कैबोटेज छूट ।
 - अंतरदेशीय एवं तटीय कार्गो का एकीकरण ।
 - भारतीय शपिगि कंपनयिों को सबसिडी सहायता ।
 - तटीय कार्गो के लयि ग्रीन चैनल मंजूरी और प्रमुख बंदरगाहों पर तटीय जहाजों के लयि प्राथमकिता के आधार पर बर्थ
 - भारत सरकार **वशिष तटीय बर्थों, प्लेटफॉर्मों या जेट्टी के नरिमाण या उन्नयन, तटीय बर्थों के मशीनीकरण और पूजी के लयि सहायता** प्रदान कर रही है ।
 - **पीएम गतशिकर्ता और राष्ट्रीय लॉजसिटिकि पोर्टल** के साथ ही **तटीय नौवहन** को और बढ़ावा मलिगा और समग्र लॉजसिटिकि लागत को कम करने के लक्ष्य को हासलि करने में भी मदद मलिगी ।
- **करूज टर्मनिल:**
 - **मुंबई के इंदरिा डॉक** पर **अंतर्राष्ट्रीय करूज टर्मनिल** का उन्नयन/आधुनकिीकरण कयि जा रहा है ।
 - मंत्रालय रविरफ्रंट सौदर्यीकरण कार्य के साथ-साथ **रविर करूज टर्मनिल और रविर पर्यटन सुवधि के वकिस के लयि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट को सहायता** प्रदान कर रहा है ।
- **तटीय सामुदायकि वकिस:**
 - मंत्रालय मछुआरा समुदाय के कल्याण के लयि **मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय** के साथ मलिकर केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजति योजना **'प्रधानमंत्रि मत्स्य संपदा योजना'** (PMMSY) के तहत फशिगि हार्बर परयोजनाओं का आंशकि वतितपोषण कर रहा

है।

◦ सागरमाला कार्यक्रम के तहत मंत्रालय ने प्रमुख बंदरगाहों पर 5 प्रमुख फशिगि हार्बर का आधुनिकीकरण किया है।

■ कौशल विकास:

- बंदरगाह एवं समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास के लिये सागरमाला दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDUGKY) का दूसरा चरण गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में प्रगति पर है।
- इस कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत 2,400 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है जिनमें से लगभग 1,200 लोगों को लॉजिस्टिक्स, शिप ब्रेकिंग, पर्यटन तथा आतंरिक उद्योगों में रखा गया है।
- सभी प्रमुख बंदरगाहों पर मल्टी-स्किल डेवलपमेंट सेंटर (MSDC) स्थापित किये जा रहे हैं। [जवाहरलाल नेहरू पोर्ट](#) से जुड़े MSDC चालू हो चुके हैं।

बंदरगाह क्षेत्र

■ प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021:

◦ [प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम](#) (Major Port Authorities Act) 2021, 03 नवंबर, 2021 से प्रभावी है।

■ प्रमुख बंदरगाहों के लिये मध्यस्थता एवं सुलह समिति:

- मध्यस्थता अथवा अदालतों के जरिये वाणिज्यिक विवादों के समाधान में काफी समय लग जाता है और यह प्रमुख बंदरगाह जैसी वाणिज्यिक संस्थाओं के लिये वित्तीय तौर पर काफी बोझिल हो जाता है। इसलिये एक वैकल्पिक विवाद समाधान ढाँचे के तौर पर प्रमुख बंदरगाहों के लिये एक मध्यस्थता एवं सुलह समिति (CSC) की स्थापना की गई है।
- विवाद समाधान के लिये 6 महीने का वशिष्ट समय निर्धारित किया गया है।

■ JNPA SEZ इन्वेस्टर कॉन्क्लेव 2022:

◦ [जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी \(JNPA\)](#) ने निवेशकों से निवेश आकर्षित करने और उन्हें देश की बंदरगाह आधारित अर्थव्यवस्था में शामिल होने के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के साथ मिलकर मुंबई में [JNPA SEZ इन्वेस्टर कॉन्क्लेव 2022](#) का आयोजन किया।

■ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (JNP) बना पहला शत-प्रतिशत लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट:

- पछिले 25 वर्षों के दौरान PPP मोड के तहत भारतीय बंदरगाहों में निवेश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
- JNP शत-प्रतिशत [लैंडलॉर्ड पोर्ट](#) बनने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है जहाँ सभी बर्थ PPP मॉडल पर संचालित हो रहे हैं।

■ चाबहार दविस:

- इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के सहयोग से मंत्रालय ने 30 जुलाई, 2022 को को ['चाबहार दविस'](#) मनाया।
- इसका उद्देश्य IPGL द्वारा संचालित चाबहार बंदरगाह को [इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर \(INSTC\)](#) के लिक के रूप में बढ़ावा देना है जो मुंबई में मध्य एशियाई बाजारों को जोड़ता है।
- केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री ने बंदरगाह के विकास में प्रगति की समीक्षा करने के लिये चाबहार [मशाहदि बेहेस्ती बंदरगाह का दौरा](#) किया।
- बंदरगाह की कार्गो हैंडलिंग क्षमता में सुधार के लिये चाबहार बंदरगाह पर [इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री ट्रेड ज़ोन \(IPGC FTZ\)](#) को [छह मोबाइल हार्बर](#) करने भी सौंपे गए।

■ स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान:

- सभी प्रमुख बंदरगाहों ने [स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर](#) अभियान में सक्रियता से भाग लिया और इसके तहत जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया।
- इसमें समुद्र तटों, तटीय सड़कों, बंदरगाह परिसर आदि पर सफाई अभियान शामिल थे।

■ पीएम गति शक्ति मल्टीमॉडल मैरीटाइम समिति 2022

- समुद्री एवं लॉजिस्टिक्स उद्योग में बदलाव की आवश्यकता को उजागर करने के लिये [श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट](#) द्वारा पीएम गति शक्ति मल्टीमॉडल मैरीटाइम समिति 2022 का आयोजन किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन

■ अंतर्राष्ट्रीय वेसेल अधिनियम, 2021:

- पछिले [अंतर्राष्ट्रीय वेसेल अधिनियम, 1917](#) के तहत राज्यवार वनियमों के बजाय [अंतर्राष्ट्रीय पोत अधिनियम, 2021](#) के तहत देश में अंतर्राष्ट्रीय पोतों के पंजीकरण, प्रमाणन एवं वशिष्टताओं की एकीकृत व्यवस्था शुरू करने के लिये नियम बनाए और अधिसूचित किये गए।

पोत परिवहन क्षेत्र

■ मेक इन इंडिया:

- ['मेक इन इंडिया'](#) को प्रोत्साहित करने और आय एवं रोजगार बढ़ाने के लिये भारत में [वनिर्माण](#) तथा [वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन](#) को बढ़ावा देने हेतु।
 - मंत्रालय द्वारा नमिनलखित विधियों पर संशोधित अधिसूचनाएँ जारी की गईं:

■ नौचालन के लिये समुद्री सहायता अधिनियम, 2021:

- इस अधिनियम ने पुराने [लाइटहाउस अधिनियम 1927](#) का स्थान लिया है। यह [नौचालन के लिये समुद्री सहायता](#) के क्षेत्र में वैश्विक

सर्वोत्तम प्रथाओं, तकनीकी विकास और भारत के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को शामिल करता है।

- नया अधिनियम भारतीय समुद्र तट के आसपास समुद्री नेविगेशन और पोत यातायात सेवाओं के लिये सामंजस्यपूर्ण एवं प्रभावी कार्यप्रणाली की सुविधा प्रदान करेगा।
- मैरीटाइम में महिलाओं के लिये IMO अंतरराष्ट्रीय दविस के उद्घाटन अवसर पर भारतीय नौवहन नगिम (Shipping Corporation of India- SCI) एम.टी. स्वर्ण गोदावरी पर सभी महिला मर्चेंट अधिकारियों के एक अन्य बेड़े की उपलब्धि हासिल की।

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/year-end-review-2022-ministry-of-ports,-shipping-and-waterways>

